तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 188/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/681) बउनवान मुलतानमल व अन्य बनाम गोपालदेव इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

प्रथम लिंक अधिकारी

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश बिश्नोई आर ए एस)

मुलतानमल व अन्य

बनाम

गोपालदेव इत्यादि

उपस्थित

1. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री छैलसिंह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

आदेश

दिनांक 25 फरवरी 2026

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 922/2025 बउनवान गोपालदेव वगैरह बनाम मुकेश चौधरी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 05 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा बेरीवाला गांव (मूल गांव कुडला) तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 47 रकबा 35 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 50 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 61 बीघा 13 बिस्वा (5.7460 हैक्टेयर) व खेत खसरा संख्या 49 रकबा 0.0647 हैक्टेयर के अपीलांट्स रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट्स का वक्त खरीद यानि पिछले 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो./वादीगण द्वारा अपने पिता देवा/देवीसिंह के जीवनकाल में वादग्रस्त आराजीयात के संबंध किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेस्पो./वादी के पिता देवा के बड़े भाई सोनाराम द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का बेचान संरक्षक की हैसियत से दिनांक 12.11.1960 को किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त बेचाननामा में खातेदार देवा के नाबालिग होने तथा बड़े भाई को संरक्षक बताया गया है। देवा/देवीसिंह द्वारा अपने जीवन काल में उक्त बेचाननामा को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना, अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से अपीलांट्स अपने हक हिस्से की आराजी का उपयोग–उपभोग एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की लोक उपयोगी एवं आवश्यक योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट अपील स्वीकार फरमाई एवं जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 922/2025 बउनवान गोपालदेव वगैरह बनाम मुकेश चौधरी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिस पर वे काबिज काश्त है। रेस्पो. के पिता देवा के नाबालिग रहते उसके भाई सोनाराम द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से संरक्षक की हैसियत से वादग्रस्त आराजीयात का बेचान किया गया था, जबकि खातेदार देवा की माता तत्समय जीवित थी। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर चाराजोही किये बिना सीधे ही अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजीयात की अद्यतन जमाबंदी के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 50 रकबा 4.2978 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 रकबा 5.6818 हैक्टेयर, खसरा नंबर 49 रकबा 0.0647 हैक्टेयर ग्राम बेरीवालागांव तहसील बाड़मेर ग्रामीण अपीलांट की खातेदारी की भूमि प्रकट होती है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12.11.1960 के मुताबिक खातेदार सोनाराम द्वारा स्वयं खातेदार देवाराम के बहैसियत वली/संरक्षक की हैसियत से वादग्रस्त आराजीयात क्रेता शंकरलाल एवं मुलतानमल को विक्रय किया जाना प्रकट होता है। रेस्पो. द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के बैचान किये जाने की इतनी लंबी अवधि बाद उक्त बेचाननामा को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दिये बिना राजस्व न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना तथा पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये दर्ज काबिज खातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो प्रथमदृष्टया विधिसम्मत नहीं है। कानूनन रेकर्डेड खातेदारान् को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय, विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। लिहाजा प्रकरण के त्वरित निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देश जारी किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 188/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/681) बअनवान मुलतानमल व अन्य बनाम गोपालदेव इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 नवंबर 2025 निरस्त किया जाता है एवं मामला विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सारे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर